

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 155/2018 के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/44583/2020)

एन०पी०वी० की धनराशि का (संशोधित) आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या दिनांक 05-03-2007 एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियमानुसार है:-

1. इको-क्लास / श्रेणी	-	मिश्रित वन IV
2. हरियाली का घनत्व	-	0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० रुपये	-	438000 / -प्रति है०
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.51 है०
5. एन०पी०वी० की कुल देय धनराशि	-	0.51 x 438000 x 10
		= 22,33,800.00

(बाईस लाख तैतीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र।

उप-निदेशक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क
उत्तराखण्ड, देहरादून